भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2454

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

अटल पेंशन योजना

2454. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकित पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है और वर्ष-वार वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपए प्रतिमाह की पांच पेंशन स्लैबों में पेंशनभोगियों के वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को निम्न पेंशन स्लैबों में असमान रूप से उच्च नामांकन की जानकारी है और यदि हां, तो इस विषम नामांकन के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा जाल में सुधार हेतु पेंशन राशि, अंशदान संरचना में संशोधन करने या मुद्रास्फीति से जुड़ी पेंशन विकल्प शुरु करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): दिनांक 30-11-2025 की स्थिति के अनुसार, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत कुल 8,45,17,419 अभिदाताओं का नामांकन किया गया है। इसकी वर्ष-वार वृद्धि का ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): पांच पेंशन स्लैब (दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार) में पेंशनभोगियों के वर्गीकरण ब्यौरा निम्नानुसार है:

पेंशन स्लैब	सकल नामांकन	प्रतिशतता
1,000	7,34,79,553	86.91%
2,000	25,34,949	3.00%
3,000	11,86,898	1.41%
4,000	4,46,102	0.53%
5,000	68,69,917	8.15%
कुल	**8,45,17,419**	**100%**

(ग) और (घ): अटल पेंशन योजना का शुभारंभ दिनांक 09.05.2015 को किया गया था, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का सृजन करना था। एपीवाई योजना 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या 5000 रुपये प्रति माह की लचीली न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। तदनुसार, वर्तमान में प्रति माह सदस्यता राशि, शामिल होने की आयु और चयन की गई पेंशन राशि के आधार पर 42 रुपये से 1454 रुपये तक भिन्न होती है। पेंशन राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि से सदस्यता राशि में पर्याप्त वृद्धि होने और ग्राहक पर अतिरिक्त भार पड़ने की संभावना है। न्यूनतर पेंशन स्लैब में नामांकन से ज्ञात हुआ है कि एपीवाई अत्यंत गरीब व्यक्ति तक पहुंच रही है।

वर्तमान में, यह निर्णय लिया गया है कि योजना को समान शर्तों एवं निबंधनों के साथ जारी रखा जाए और पेंशन तथा परिणामी सदस्यता राशि में और वृद्धि न की जाए।

******

अनुबंध- I

"अटल पेंशन योजना" के संबंध में दिनांक 15.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2454

योजना के आरंभ से दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत वर्षवार नामांकन और प्रतिशत वृद्धि

वित्तीय वर्ष	नामांकन	**वृद्धि%**	**संचयी सकल नामांकन**
2015-16	24,84,895	-	24, 84,895
2016-17	23,98,934	97%	48,83,829
2017-18	48,21,632	99%	97,05,461
2018-19	57,12,824	59%	1,54,18,285
2019-20	68,83,373	45%	2,23,01,658
2020-21	79,14,142	35%	3,02,15,800
2021-22	99,11,479	33%	4,01,27,279
2022-23	1,19,31,385	30%	5,20,58,664
2023-24	1,22,93,490	24%	6,43,52,154
2024-25	1,17,38,327	18%	7,60,90,481
2025-26 (दिनांक 30.11.2025)	84,26,938	11%	8,45,17,419

स्रोत: पीएफआरडीए

*****